

श्री.....

२० कच्छरा

बनाम श्री ३५ पतल

प्रकरण संख्या २०/२०१८


२५/१२/२०१८
तारीख हुक्म


हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामिल
में जारी हुए

२५/१२/२०१८

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में वकील वादी की ओर से आदेशिका पर अंकित किया की हिदायत पे रवी की अनुमति नहीं होकर (no interaction) अंकित किया गया। वकील वादी द्वारा (no interaction) अंकित किया जाने से प्रकरण में अब किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

दिवापलपत्रों की
अनुमति नहीं है
No interaction

दिवापलपत्र